

## प्रेसनोट दिनांक 30-10-2024

1. दिनांक 29.10.2024 को वादी उ०नि० श्री मनीष कुमार चतुर्वेदी थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो० असलम पुत्र मो० इस्लाम नि० कायस्थाना थाना को०रुदौली अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 45 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 479/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।